हामान - गणपत मु.नं. 16/20

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 19.11.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 21.11.24 को पेश हो। | [illegible] |
| 21.11.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 2.12.24 को पेश हो। [illegible] | |
| 2.12.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 3.1.25 को पेश हो। | [illegible] |
| 3.1.25 | [illegible] अभिभाषक संघ के [illegible] [illegible] स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व [illegible] अनुसार दिनांक 20.2.25 को पेश हो। | |
| 20.2.25 | पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.2.25 को पेश हो। [illegible] | |
| 27.2.25 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिजेक्ट की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible]<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 16 / 2020

1 हणमान पुत्र लूणाराम आय साल जाति जाट निवासी धायलो की ढाणी कुशालपुरा तन पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गणपत पुत्र चुनाराम उम्र 65 साल जाति जाट
2 श्रीलाल पुत्र डूंगाराम जाति जाट
3 मोतीराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट
निवासीगण धायलो की ढाणी कुशालपुरा तन पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ दिनांक 08.01.2020 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथ जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 27/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का बाबत खसरा नम्बर 20 नये खसरा नम्बर 85, 86, 82 तन कुशालपुरा में से नया रास्ता निकालने के बाबत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा उसके साथ ही एक अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र दफा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। जिसमें विचारण न्यायालय में अपीलांट के खेत में से नया रास्ता निकालने का गलत आदेश अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश जैर अपील देने से पूर्व विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने कोई नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, अतः आदेश जैर कानूनन निरस्त होने योग्य है। विवादग्रस्त रास्ते के संबंध में अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 85 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे का पूर्व निर्णय राजस्व मंडल अजमेर दिनांक 28.10.2014 तथा उसकी पालना दिनांक 26.11.2014 को हो गई थी उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय को मुगालता देकर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 85 के बीच से रास्ता निकालने की गरज से पूर्व निर्णित आदेश के बावजूद अपीलाधीन गलत आदेश न्यायालय को मुगालता देकर प्राप्त किया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन प्रकरण पूर्व में दिनांक 28.10.2014 व दिनांक 22.05.2018 को राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशों की अवहेलना कर दिया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण कानूनन निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 85 के बीच से होकर रेस्पोडेन्ट का कोई रास्ता नहीं रहा है। फिर भी विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रास्ता निकालने का गलत आदेश दिया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय को दफा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता निकालने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं अतः आदेश जैर अपील कानूनन निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 584 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कुशालपुरा की भूमि खसरा नम्बर 82, 85 व 86 में रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाने के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.01.2020 को विचाराधीन आदेश से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस संदर्भ में जारी की है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कुशालपुरा की भूमि खसरा नम्बर 82, 85 व 86 में रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाने के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.01.2020 को विचाराधीन आदेश से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस संदर्भ में जारी की है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

यहां यह अवश्य विचारणीय है कि धारा 212 के प्रकरण का निस्तारण विचारण न्यायालय को निर्धारित अवधि में किया जाना होता है प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 08.01.2020 से 23.07.2020 तक विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लंबित रहा है। इसके उपरांत विचारण न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में तलब होने पर प्रकरण लंबित रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण आगामी दो माह में किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर